



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2009/आषाढ़ 29, 1931

No. 419]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2009/ASADHA 29, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 538(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का पंजाब अधिनियम सं. 7) द्वारा यथासंशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के उपबंधों को, न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1999 में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, "न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1999" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाविस्तारित न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1999" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. धारा 2 में, "न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में इसके पंजाब राज्य में लागू होने में" शब्दों और अंकों, के स्थान पर "न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में इसके चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में इसके लागू होने में" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11020/9/2008-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

उपाबंध

न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1999

19 अप्रैल, 1999 को पंजाब के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी और पंजाब राजपत्र (असाधारण) विधायी अनुपूरक, भाग 1,

2658 GI/2009

(1)

तारीख 19 अप्रैल, 1999/चैत्र, 29, 1921 में प्रकाशित हुआ था।

1999 का पंजाब अधिनियम सं. 7

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का, पंजाब राज्य में इसके लागू होने के लिए, और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1999 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1870 के केन्द्रीय अधिनियम 7 की धारा 8 का संशोधन.—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में इसके पंजाब राज्य में लागू होने में, धारा 8 के अंत में "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न रखा जाएगा और निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्भूत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के ज्ञापन या प्रत्याक्षेपों पर एक सौ रुपए की नियत न्यायालय फीस संदेय होगी।"

3. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का पंजाब अध्यादेश सं. 1) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2009

G.S.R. 538(E).— In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the provisions of the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870), as amended by the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 1999 (Punjab Act No. 7 of 1999) as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications in the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 1999, namely :—

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of Section 1, for the words, brackets and figures “the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 1999”, the words, brackets and figures “the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 1999 as extended to the Union territory of Chandigarh” shall be substituted.
2. In section 2, for the words and figures “In the Court Fees Act, 1870, in its application to the State of Punjab”, the words and figures “In the Court Fees Act, 1870 in its application to the Union territory of Chandigarh” shall be substituted.
3. Section 3 shall be omitted.

[F. No. U-11020/9/2008-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

ANNEXURE

THE COURT FEES (PUNJAB AMENDMENT) ACT,
1999

Received the assent of the Governor of Punjab on the 19th April, 1999 and was published in the Punjab

Gazette, (Extraordinary), Legislative Supplement, Part I dated April, 19, 1999/Chaitra 29, 1921.

PUNJAB ACT NO. 7 OF 1999

An Act further to amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 1999.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 8 of Central Act 7 of 1870.— In the Court Fees Act, 1870, in its application to the State of Punjab, in Section 8, at the end, for the sign “.” the sign “:” shall be substituted and the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that the fixed Court fee of one hundred rupees shall be payable on the memorandum of appeal or cross objections before the High Court arising under the Land Acquisition Act, 1894 or any other law for the time being in force for acquisition of land for public purposes.”

3. Repeal and Saving.—(1) The Court Fees (Punjab Amendment) Ordinance, 1999 (Punjab Ordinance No. 1 of 1999) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.